न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी हनुमान सहाय मीना,आई,ए,एस,

अपील संख्याः 171/2017 एल.आर. एक्ट

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री अमीचंद जाति विश्नोई निवासी गिलवाला तह. टीब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कीर्तिभानू पुत्र अमीचंद जाति विश्नोई निवासी गिलवाली तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ (फौत)

2/1 निर्मला पत्नी स्व. कीर्तिभानू जाति विश्नोई निवासी गिलवाली तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ

2/2 राहुल पुत्र स्व. कीर्तिभानू जाति विश्नोई निवासी गिलवाली तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ (नाबालिग)

2/3 तेजल पुत्री स्व. कीर्तिभानू जाति विश्नोई निवासी गिलवाली तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ (नाबालिग)

अपीलान्ट्स

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी		
2 3 4	सकत्तर सिह भजन सिंह सुखदेंव सिह	पि0 दीदार सिह	जाति जटसिंख निवासी तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी
5 6 7	त्रिलोक सिह निर्मल सिह नखेल सिह	पि0 गुरबचनसिह	जाति जटसिंख साकिन तलवाड़ाझील तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ
8	प्रकाश कौर पत्नी सकतर सिह		जाति जटसिंख साकिन तलवाड़ाझील तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ
9	श्रवण सिह पुत्र सुलख सिंह		

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजकुमार व्यास – रेस्पोडेंट नं. 2 ता 9
3. श्री सुभाष सहू -- राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 01–11–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 12–04–2012 के विरूद्ध पेश हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 3 टीएल डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 238/291 के किला नम्बर 1, 2, 6 ता 15, 18 ता 21 एव पत्थर नम्बर 237/291 के किला नम्बर 14 ता 17, 22 ता 25 तथा पत्थर 237/292 के किला नम्बर 1 ता 4 कुल 28–00 बीधा भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज है। पूर्व मे यह भूमि खातेदारी दर्ज थी। घूमासिह ने दिनांक 19.3.1996 को यह भूमि जरिये बैयनामा अपीलान्ट को विक्रय कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा वस्तु स्थिति को छुपाते हुए गोमासिंह एव लक्ष्मण सिंह के वारिसान से अपने पक्ष मे इस भूमि के विक्रय का इकरानामा तैयार करवाकर सहायक कलक्टर टीबी के यहा धारा 88 आरटीए का दावा अपने पक्ष में एक पक्षीय निर्णय करवा लिया तथा इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल नम्बर 906 दिनांक 25.5.2011 दर्ज किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने पर द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेंन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील मीमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये कहा कि चक 3 टीएल डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 238/291 के किला नम्बर 1, 2, 6 ता 15, 18 ता 21 एव पत्थर नम्बर 237/291 के किला नम्बर 14 ता 17, 22 ता 25 तथा पत्थर 237/292 के किला नम्बर 1 ता 4 कुल 28–00 बीधा भूमि अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज है। पूर्व मे यह भूमि खातेदारी दर्ज थी। घूमासिह ने दिनांक 19.3.1996 को यह भूमि जरिये बैयनामा अपीलान्ट को विक्रय कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया गया। खरीदशुदा भमि का इन्तकाल संख्या 381 दिनांक 12.12.1996 अपीलान्ट के हक मे दर्ज हो गया। रजिस्टर्ड बैयनामा एव इन्तकाल आज तक बदस्तूर है। अपीलान्ट को बेची गई भूमि को उसके भाई ने उसी भूमि एक ईकरानामा रेस्पोडेन्ट के साथ फर्जी तरीके से करवा लिया गया। इस ईकरानामे की कोई कानूनी मान्यता नही है क्योकि इससे पूर्व इसी का रजिस्टर्ड बेचवान हो चुका था। रेस्पोडेन्ट ने ए.सी.एम. टिब्बी श्री अशोक कुमार शर्मा के साथ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साजबाज कर दिनांक 5.5.2011 को ईकरारनामे से खातेदारी ले ली एवं रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 25.5.2011 को ईन्तकाल संख्या 906 दर्ज करवा लिया जो अवैध है। एक बेचवान के होते व इन्काल होते हुए सबसीक्वेन्ट अन्य को खातेदारी देना व इन्तकाल दर्ज करना अवैध है। इसके लिए आर.आर.डी. 1995 पृष्ठ 617 अवलोकनीय बताया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे, अवैध रूप से दर्ज रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज इन्तकाल को निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 9 के अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कंहा कि अपीलान्ट द्वारा अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 12.4.2012 के विरूद्व पेश की गई है, जिसके तहत इंतकाल संख्या 906 दिनांक 25.5.11 जो सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.5.2011 की पालना मे तस्दीक किया गया है। इस आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। अपीलान्ट द्वारा इंतकाल निरस्ती का कोई आदेश भी पेश नही किया गया हैं। इंतकाल एक Fiscal Proceeding है। जो भी अधिकार तय होगे व दावे मे तय होगे। रेवेन्यू बोर्ड के आदेश दिनांक 4.11.2011 के अनुसार धूमासिह के नाम जो इंतकाल दर्ज हुआ उसे Kept in obeyace रखा गया। अतः इन परिप्रेक्ष्य मे अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है।

अपीलान्ट के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह कि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्ट्री खातेदारी भूमि खरीद की तथा अपीलान्ट के नाम ईन्तकाल संख्या 381 दर्ज हो गया। उसी भूमि का ईकरारनामा उसके भाई ने रेस्पोडेन्ट के साथ कर दिया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक का मुख्य तर्क यह कि इंतकाल संख्या 906 दिनांक 25.5.11 जो सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.5.2011 की पालना मे तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट का इंतकाल संख्या 906 दिनांक 25.5.11 डिक्री की पालना मे दर्ज किया है। जब तक डिक्री प्रभावशील है तब तक अपीलाधीन इन्तकाल आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नही है, क्योकि अपीलाधीन इन्तकाल डिक्री के आधार पर दर्ज हुआ है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य होने के कारण खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 01–11–2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:49:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: